भारत सरकार

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

राज्य सभा

अतारां कत प्रश्न संख्या **1806**

**(**मंगलवार**, 04** अगस्त**, 2026/13** श्रावण**, 1948 (**शक) को उत्तर के लए)

राजस्थान और झारखंड में सीएसआर पर कया गया व्यय

1806 श्री मदन राठौड़:

श्री आदित्य प्रसाद:

क्या कारपोरेट कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे क:

(क) पछले पांच वर्षों के दौरान सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों (पी.एस.यू) और निजी क्षेत्र की कंपनियों द्वारा कारपोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व (सीएसआर) पर कए गए कुल व्यय का ब्यौरा क्या है;

(ख) उन प्रमुख क्षेत्रों का ब्यौरा क्या है जिनमें पछले पांच वर्षों के दौरान राजस्थान राज्य में कार्यरत सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा सीएसआर व्यय कया गया है;

(ग) पछले तीन वर्षों में झारखंड में निर्वाचन क्षेत्र-वार व्यय की गई कुल सीएसआर रा श कतनी है और स्वीकृत तथा लंबित वकास परियोजनाओं और उनके पूरा होने की समय-सीमा का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सीएसआर व्यय को अ धक प्रभावी और सुव्यवस्थित बनाने के लए सरकार द्वारा सीएसआर नीति में कोई परिवर्तन कए गए हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

कारपोरेट कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री और सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय में राज्य मंत्री।

**(**श्री हर्ष मल्होत्रा)

**(क):** एमसीए**21** रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा फाइल सीएसआर से संबं धत सभी आंकड़े सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध हैं और इन्हें **www.csr.gov.in** पर देखा जा सकता है। एमसीए**21** रजिस्ट्री में कंपनियों द्वारा की गई वा र्षक फाइ लंग के आधार पर, वत्तीय वर्ष **2020-21** से **2024-25** के दौरान भारत में कंपनियों द्वारा कया गया कुल सीएसआर व्यय अनुलग्नक**-I** में दिया गया है

**(ख):** वत्तीय वर्ष **2020-21** से **2024-25** के दौरान राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कया गया वकास क्षेत्र-वार सीएसआर व्यय अनुलग्नक **II** में दिया गया है।

**(ग):** मंत्रालय संसदीय निर्वाचन क्षेत्र-वार सीएसआर आंकड़े और सीएसआर परियोजनाओं के पूरा होने की स्थिति केन्द्रीय स्तर पर नहीं रखता है। तथा प, **2022-23** से वत्तीय वर्ष **2024-25** तक पछले तीन वत्तीय वर्षों के दौरान झारखंड में जिलावार सीएसआर व्यय का ववरण अनुलग्नक**-III** में दिया गया है।

**(घ) और (ङ):** सीएसआर ढांचा प्रकटीकरण आधारित है और सीएसआर अ धदे शत कंपनियों को एमसीए**21** रजिस्ट्री में सीएसआर कार्यकलापों का ववरण वा र्षक रूप से फाइल करना आवश्यक है। कंपनी अ धनियम के तहत, सीएसआर एक बोर्ड संचा लत प्र क्रया है और कंपनी के बोर्ड को अपनी सीएसआर स मति की सफारिश के आधार पर कंपनी की सीएसआर कार्यकलापों की योजना बनाने, उन पर निर्णय लेने, उन्हें निष्पादित करने और उन पर निगरानी करने का अ धकार है। मंत्रालय ने दिनांक **27.05.2026** की राजपत्र अ धसूचना के माध्यम से नई मद संख्या **(xiii)** अर्थात् **"**सोशल स्टॉक एक्सचेंज पर शून्य कूपन शून्य प्रमुख लखतों का अ भदान**"** की शुरुआत करके अनुसूची **VII** के दायरे का वस्तार कया है। यह संशोधन गैर-लाभकारी संगठनों को लोक कल्याणकारी परियोजनाओं के लए पारदर्शी और वनिय मत तरीके से धन जुटाने में मदद करेगा।

*****

अनुलग्नक-I

दिनांक **04.08.2026** के लए राज्य सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1806** के भाग (क) से सन्द र्भत।

वत्तीय वर्ष **2020-21** से **2024-25** के लए भारत में कुल सीएसआर व्यय

रा श (करोड़ रुपये में)

| क्र.सं. | राज्य/संघ राज्य क्षेत्र | वत्तीय वर्ष 2020-21 | वत्तीय वर्ष 2021-22 | वत्तीय वर्ष 2022-23 | वत्तीय वर्ष 2023-24 | वत्तीय वर्ष 2024-25 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | अंडमान और निकोबार द्वीप समूह | 2.86 | 9.71 | 2.53 | 3.03 | 15.13 |
| 2. | आंध्र प्रदेश | 719.81 | 663.50 | 987.33 | 1,175.88 | 1,383.52 |
| 3. | अरुणाचल प्रदेश | 10.58 | 119.42 | 13.36 | 39.82 | 40.06 |
| 4. | असम | 180.23 | 406.42 | 475.11 | 495.60 | 607.04 |
| 5. | बिहार | 89.89 | 178.97 | 247.93 | 261.62 | 456.12 |
| 6. | चंडीगढ़ | 13.40 | 51.19 | 18.51 | 114.39 | 146.19 |
| 7. | छत्तीसगढ़ | 325.63 | 317.70 | 610.16 | 435.62 | 551.88 |
| 8. | दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव | 27.23 | 18.27 | 23.22 | 30.28 | 35.92 |
| 9. | दिल्ली | 724.59 | 1,198.50 | 1,518.29 | 2,004.31 | 2,752.75 |
| 10. | गोवा | 41.92 | 45.43 | 60.91 | 86.43 | 106.01 |
| 11. | गुजरात | 1,461.60 | 1,613.18 | 2,066.67 | 2,780.14 | 4,549.10 |
| 12. | हरियाणा | 550.86 | 687.13 | 780.35 | 850.01 | 1,385.61 |
| 13. | हिमाचल प्रदेश | 106.31 | 140.27 | 141.40 | 158.25 | 225.34 |
| 14. | जम्मू और कश्मीर | 35.56 | 50.68 | 72.19 | 104.11 | 224.29 |
| 15. | झारखंड | 226.54 | 243.95 | 400.92 | 417.40 | 842.38 |
| 16. | कर्नाटक | 1,277.81 | 1,849.82 | 2,061.40 | 2,328.53 | 3,395.43 |
| 17. | केरल | 290.67 | 241.58 | 363.34 | 399.47 | 616.57 |
| 18. | लक्षद्वीप | 0.01 | 0.97 | 0.02 | 0.36 | 0.57 |
| 19. | लद्दाख | - | 14.84 | 11.72 | 30.48 | 25.58 |
| 20. | मध्य प्रदेश | 375.51 | 427.48 | 669.11 | 612.99 | 1,195.34 |
| 21. | महाराष्ट्र | 3,464.81 | 5,407.40 | 5,723.29 | 6,283.97 | 8,630.80 |
| 22. | म णपुर | 10.39 | 15.62 | 53.69 | 84.47 | 33.73 |
| 23. | मेघालय | 17.63 | 19.63 | 23.04 | 34.66 | 62.07 |
| 24. | मजोरम | 0.97 | 6.94 | 11.01 | 4.48 | 14.97 |
| 25. | नागालैंड | 3.57 | 12.46 | 13.57 | 15.41 | 26.79 |
| 26. | ओ डशा | 578.16 | 752.37 | 998.07 | 1,404.24 | 1,574.98 |
| 27. | पुडुचेरी | 12.43 | 9.31 | 14.62 | 34.53 | 27.96 |
| 28. | पंजाब | 158.46 | 185.41 | 263.55 | 368.15 | 578.49 |
| 29. | राजस्थान | 670.00 | 713.85 | 1,123.16 | 1,176.73 | 1,620.16 |
| 30. | सक्किम | 17.28 | 28.24 | 36.18 | 41.87 | 54.55 |
| 31. | त मलनाडु | 1,174.07 | 1,441.03 | 1,641.23 | 2,055.31 | 2,738.49 |
| 32. | तेलंगाना | 627.71 | 688.58 | 1,042.02 | 1,103.33 | 1,445.78 |
| 33. | त्रिपुरा | 9.29 | 15.91 | 19.26 | 9.45 | 15.89 |
| 34. | उत्तर प्रदेश | 907.32 | 1,345.02 | 1,213.76 | 1,590.66 | 2,212.68 |
| 35. | उत्तराखंड | 160.58 | 228.09 | 307.76 | 366.02 | 519.98 |
| 36. | पश्चिम बंगाल | 471.48 | 571.89 | 783.45 | 877.09 | 1,075.33 |
| 37. | एनईसी/उल्लेख नहीं* | 169.47 | 0.09 | 10.12 | 1.06 | 0.29 |
| 38. | संपूर्ण भारत* | 7,805.03 | 5,789.58 | 6,233.04 | 7,066.44 | 662.74 |
| 39. . | अन्य केंद्रीकृत नि ध | 3,491.30 | 1,631.01 | 1,148.00 | 1,071.38 | 943.48 |
| | कुल | 26,210.95 | 27,141.45 | 31,183.28 | 35,917.98 | 40,794.00 |

**(31 मार्च, 2026** तक के अपडेटेड आंकड़े) **[**स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ**]**

*कंपनियों ने या तो राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं कए थे या एक से अ धक राज्यों/ संघ राज्य क्षेत्रों, जहां परियोजनाएं शुरू की गई थीं, का संकेत दिया था।

*****

अनुलग्नक-II

दिनांक **04.08.2026** के लए राज्य सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1806** के भाग **(ख)** से सन्द र्भत। वत्तीय वर्ष **2020-21** से **2024-25** के लए राजस्थान में सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा वकास क्षेत्रवार सीएसआर व्यय

रा श **(करोड़ रुपये में)**

| क्र.सं. | वकास क्षेत्र | वत्तीय वर्ष **2020-21** | वत्तीय वर्ष **2021-22** | वत्तीय वर्ष **2022-23** | वत्तीय वर्ष **2023-24** | वत्तीय वर्ष **2024-25** |
|---|---|---|---|---|---|---|
| **1** | पशु कल्याण | **-** | **-** | **0.12** | **1.41** | **0.80** |
| **2** | सशस्त्र बल, पूर्व सैनिक, वीरागनाएं/आ श्रत | **-** | **0.11** | **0.01** | **0.15** | **0.16** |
| **3** | कला और संस्कृति | **0.23** | **-** | **0.02** | **2.25** | **1.26** |
| **4** | प्राकृतिक संसाधनों का संरक्षण | **-** | **-** | **-** | **-** | **0.88** |
| **5** | शक्षा | **3.86** | **14.73** | **11.67** | **20.83** | **9.07** |
| **6** | पर्यावरणीय स्थिरता | **1.79** | **7.96** | **12.07** | **1.07** | **2.01** |
| **7** | लैं गक समानता | **-** | **-** | **-** | **0.10** | **-** |
| **8** | स्वास्थ्य देखभाल | **3.98** | **23.40** | **17.90** | **15.61** | **47.01** |
| **9** | आजी वका संवर्धन परियोजनाएं | **0.30** | **0.35** | **1.44** | **0.62** | **0.28** |
| **10** | गरीबी, भुखमरी का उन्मूलन, कुपोषण | **0.04** | **-** | **0.16** | **1.06** | **2.54** |
| **11** | ग्रामीण वकास परियोजनाएं | **5.76** | **1.54** | **4.67** | **3.77** | **5.05** |
| **12** | सुर क्षत पेयजल | **0.09** | **0.43** | **1.09** | **0.21** | **3.17** |
| **13** | स्वच्छता | **0.15** | **2.00** | **1.40** | **2.15** | **2.93** |
| **14** | वरिष्ठ नागरिक कल्याण | **0.00** | **0.49** | **1.35** | | **0.10** |
| **15** | महिलाओं के लए आवास और छात्रावास स्था पत करना | **-** | **0.15** | **-** | **0.20** | **0.20** |
| **16** | अनाथालय की स्थापना | **-** | **-** | **-** | **0.13** | **-** |
| **17** | सामाजिक-आ र्थक समानताएं | **-** | **0.79** | **0.51** | **0.33** | **-** |
| **18** | वशेष शक्षा | **-** | **0.08** | **-** | **-** | **2.19** |
| **19** | प्रौद्यो गकी इनक्यूबेटर | **0.68** | **-** | **-** | **-** | **-** |
| **20** | खेलों को बढ़ावा देने के लए प्र शक्षण | **0.05** | **0.08** | **2.42** | **0.38** | **1.38** |
| **21** | व्यावसायिक कौशल | **0.06** | **0.04** | **2.91** | **4.94** | **4.40** |
| **22** | महिला सशक्तिकरण | **0.12** | **0.11** | **0.41** | **0.02** | **1.48** |
| **23** | एनईसी/उल्लेख नहीं* | **-** | **-** | **-** | **0.88** | **-** |
| | कुल | **17.12** | **52.25** | **58.14** | **56.10** | **84.90** |

**(31 मार्च, 2026** तक के अपडेटेड आंकड़े) **[स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ]**

*कंपनियों ने या तो उन क्षेत्रों के नाम निर्दिष्ट नहीं कए या एक से अ धक क्षेत्रों, जहां परियोजनाएं शुरू की गईं, का संकेत दिया।

*****

अनुलग्नक-III

दिनांक **04.08.2026** के लए राज्य सभा अतारां कत प्रश्न संख्या **1806** के भाग **(ग)** से सन्द र्भत।

वत्तीय वर्ष **2022-23** से **2024-25** के लए झारखंड में जिलेवार सीएसआर व्यय

रा श **(करोड़ रुपये में)**

| क्र.सं. | जिले | वत्तीय वर्ष **2022-23** | वत्तीय वर्ष **2023-24** | वत्तीय वर्ष **2024-25** |
|---|---|---|---|---|
| **1** | बोकारो | **17.77** | **31.95** | **15.38** |
| **2** | चतरा | **2.65** | **6.25** | **10.84** |
| **3** | देवघर | **1.56** | **2.10** | **32.03** |
| **4** | धनबाद | **17.64** | **25.20** | **70.17** |
| **5** | दुमका | **10.78** | **18.62** | **11.32** |
| **6** | पूर्वी संह्भूम | **103.21** | **95.12** | **284.85** |
| **7** | गढ़वा | **0.34** | **0.24** | **3.34** |
| **8** | गरिडीह | **4.29** | **7.26** | **10.40** |
| **9** | गोड्डा | **18.89** | **7.40** | **21.69** |
| **10** | गुमला | **2.03** | **4.50** | **13.69** |
| **11** | ह्जारीबाग | **6.54** | **16.73** | **33.65** |
| **12** | जामताड़ा | **6.58** | **4.52** | **6.78** |
| **13** | खूंटी | **-** | **-** | **10.48** |
| **14** | कोडरमा | **5.14** | **2.86** | **6.38** |
| **15** | लातेह्ार | **3.66** | **4.16** | **9.41** |
| **16** | लोह्रदग्गा | **4.80** | **6.51** | **8.59** |
| **17** | पाकुड़ | **1.62** | **5.24** | **6.66** |
| **18** | पलामू | **5.24** | **6.22** | **7.88** |
| **19** | रामगढ़ | **-** | **0.65** | **25.77** |
| **20** | रांची | **67.61** | **80.81** | **140.97** |
| **21** | साह्बगंज | **2.86** | **7.18** | **6.15** |
| **22** | सरायकेला खरसावां | **18.21** | **10.54** | **25.62** |
| **23** | समडेगा | **3.43** | **10.50** | **5.84** |
| **24** | पश्चिम संह्भूम | **7.68** | **8.87** | **73.32** |
| **25** | जिले जो अन्यत्र वर्गीकृत नहीं कए गए है | **88.37** | **53.98** | **1.16** |
| | कुल | **400.92** | **417.40** | **842.38** |

**(31 मार्च, 2026** तक के अपडेटेड आंकड़े**) [**स्रोत: कारपोरेट डेटा प्रबंधन प्रकोष्ठ**]**

*****